स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं09/आ0–01–26/2016 /स्वा0/पटना,दिनांक /डा0 निर्मला कुमारी सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिहरी के विरूद्ध फरवरी 2013 में तिथिवाद सरकारी दवाओं को नाली में फेंके जाने की सूचना के आलोक में दवाओं को विनष्ट करने एवं दवा को मुख्यालय में वापस करने में शिथिलता बरतने के आरोप के लिए विभागीय संकल्प सं0 1289(9) दिनांक 20.12.17 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोप प्रमाणित नहीं होने का मंतब्य दिया गया। अधिगम से असहमत होते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर डा0 निर्मला कुमारी सिंह से विभगीय पत्रांक 1284(9) दिनांक 03.12.2018 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की गईः–

i) संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आपको इस आधार पर निर्दोष बतलाया गया है कि दवा के फेंके जाने की घटना मई 2015 की है जिस अवधि (दिनांक 21.09.2014 से 03.12.2015 तक) में आप अवकाश पर थी। किंतु दवा के तिथिवाद होने की घटना फरवरी 2013 की है। तब आप प्रभारी चि0 पदा0, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, डिहरी के पद पर पदस्थापित थी।

ii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय जॉच दल द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के अनुसार प्रा0 स्वा0 केन्द्र, डिहरी के भण्डार पंजी के अवलोकनोपरांत आयरन फोलिक एसिड फरवरी 2013 में तिथिवाद थी, माह फरवरी 2013 में ही विभिन्न तिथियों में ए0 एन0 एम0 को वितरित कर दी गई थी। स्टॉक पंजी में कटिंग और वाइटनर द्वारा आपूर्ति एवं अवशेष मे संशोधन किया गया था।

iii) जॉच प्रतिवेदन में यह भी अंकित है कि कुछ ए0 एन0 एम0/संस्थान को मांग से अधिक और कुछ संस्थाओं को बिना मांगे ही दवा की आपूर्ति की गई।

iv) संचालन पदाधिकारी ने अधिगम में आपके विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं बताया गया, किंतु आप अपने इस दायित्व से नहीं बच सकती कि विभागीय निर्देश के अनुसार एक्सपायर की तिथि से तीन माह पूर्व ही दवाओं को जिला दवा भंडार में वापस करते हुए सूचित करना चाहिए था जो आपके द्वारा नहीं किया गया, जिससे दवाओं का समुचित समायोजन नहीं हो पाया।

3. डा0 सिंह ने द्वितीय कारणपृच्छा के प्रतिउत्तर में निम्नांकित बाते कही हैं :–

i) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रोहतास की अध्यक्षता वाली त्रिसदस्यीय जॉच दल द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के अनुसार एक स्ट्रीप आयरन फोलिक एसिड की दवा मिलने का जिक्र किया गया था, उस स्ट्रीप पर निर्माण एवं अवसान की तिथि अंकित नहीं थी, परन्तु बिहार

सरकार का लोगो और "Govt. supply not for sale" अंकित था। यह निष्कर्ष निकालना कि उक्त दवा 2013 की ही थी और डिहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की ही थी, तथ्यहीन है।

ii) विभागीय पत्रांक 257(9) दिनांक 23.02.2017 के द्वारा सिविल सर्जन रोहतास से जॉच दल को जो दवा मिली थी, उसका बैच नम्बर क्या था, वह दवा किस अस्पताल को भेजी गई थी, की मांग की गई थी, लेकिन उसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

iii) लगाए गए आरोप में दवा के तिथिवाद होने की घटना फरवरी 2013 की है। उस समय भंडार में उक्त दवा का शेष शून्य था। दवा फेके जाने की घटना वर्ष 2015 की है। उस अवधि में मैं अवकाश (21.09.2014 से 03.12.2015 तक) में थी।

iv) नवनियुक्त लिपिक के द्वारा भंडार का संधारण किया जाता था, जिसमें जोड़ने या घटाने के क्रम में कटिंग हो जाती है, इसे अन्यथा न लिया जाए।

v) जिला से मौखिक रूप से दवा को क्षेत्र में ए0 एन0 एम0 तथा स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से अधिक–से–अधिक खर्च कराने की बात कही जाती थी, उसी परिप्रेक्ष्य में मांग से अधिक आपूर्ति की गई थी। कार्यरत भंडारपाल द्वारा मुझे आयरन फोलिक एसिड की दवा फरवरी 2013 में तिथिवाद होने की सूचना नहीं दी गई थी।

vi) दवा विनिष्ट करने के लिए जिला से पत्र अक्टूबर 2014 में आया था। इस आलोक में तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, डा0 जगनारायण प्रसाद के द्वारा तिथिवाद दवाओं की सूची जिला को निस्तार करने हेतु भेजी गई थी, जिसमें आयरन फोलिक एसिड की दवा का जिक्र नहीं था। अतः फेकी गई दवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डिहरी की थी तथा तिथिवाद थी, यह साक्ष्य से परे तथा तथ्यहीन है।

4. संपूर्ण मामले की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई तथा पाया गया कि अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जॉच समिति ने विधिवत जॉच करके निष्कर्ष रूप में कहा है कि आयरन फोलिक एसिड फरवरी 2013 में ही एक्सपायर हो चुकी थी। निदेशानुसार दवा के एक्सपायर की तिथि से तीन माह पूर्व ही जिला दवा भण्डार में वापस करते हुए सूचित करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। दस्तावेजों एवं आपूर्ति मेंमो के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त एक्सपायर दवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिहरी से ही संबंधित हो सकती है।

5. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के नाते डा0 निर्मला कुमारी सिंह का दायित्व था कि उनके द्वारा दवा भण्डार का रख–रखाव सही तरीके से सुनिश्चित कराया जाता, भंडार पंजी में किसी भी स्थिति में overwriting अपेक्षित नहीं थी। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर डा0 निर्मला कुमारी सिंह का द्वितीय कारणपृच्छा/बचाव बयान संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है।

6. वर्णित स्थिति में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से डा0 निर्मला सिंह की एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने की शास्ति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः 519(9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 10/5/2019

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, (ले0 एं0 ह0) बिहार पटना/ उप सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पटना प्रमण्डल पटना/सिविल सर्जन रोहतास/सासाराम/जिला पदाधिकारी रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा0 निर्मला कुमारी सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के आप्त सचिव /निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10, 17 एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

10/5/19
सरकार के अवर सचिव